किराया नियंत्रक दस्तावेजों को समर्थन में लेने से पहले उसकी स्वीकार्यता के सवाल को तय करने के लिए बाध्य था । किराया नियंत्रक का याचिकाकर्ता के आपित के विचार को अंतिम तर्कों के चरण तक स्थगित करने का दृष्टिकोण कानूनी रूप से अस्थिर है।

(7) उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए, इस संशोधन याचिका को अनुमित दी जाती है और 21 मार्च, 2005 को विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, रेंट कंट्रोलर को निर्देशित किया जाता है कि वो मुकदमे में आगे बढ़ने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा पूर्वोक्त दस्तावेजों को प्रदर्शन से हटाने की एप्लिकेशन को तय करे।

आर .एन .आर .

एस. एस. निजजर और निर्मल यादव, के समक्ष सरोजिनी साहने , – याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य, — उत्तरदाता सी.डब्लू .पी. 958ऑफ 2005

30 अगस्त, 2005

भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद14, 16, 21 और 226 – पंजाब चिकित्सा उपस्थिति नियम, 1940 – नियम 7 और 48(i) – पंजाब विश्वविद्यालय कैं लेंडर वॉल्यूम. 111, संस्करण 1996 – नियम .2 (xi) –याचिकाकर्ता के पित की मृत्यु – चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा- याचिकाकर्ता के पित का एसबीआई से सेवानिवृत – एसबीआई में सेवानिवृत कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं – योजना के तहत एक सदस्य केवल 2 लाख रुपये तक के दावे करने का हकदार हैं। याचिकाकर्ता ने मृतक पित के चिकित्सक उपचार में 4 लाख रुपये से अधिक खर्च किया- एसबीआई ने कुल दावे के लिए 2 लाख रुपये का भुगतान किया। – याचिकाकर्ता ने शेष दावा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया – नियाम में न आवरित होने की वजह से अस्वीकृति – इस के इलावा चैलेंज – याचिकाकर्ता का दावा विश्वविद्यालय कैलेंडर के R1.2 (xi) में दिए गए "निर्भर" की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है – याचिकाकर्ता 1940 के नियमों के अनुच्छेद 48 (i) के मद्देनजर दावा करने का भी हकदार नहीं है-1940 के नियम का R1.7 उत्तरदाताओं को चिकित्सा उपचार से संबंधित किठनाई के विशेष मामलों में नियमों को शिथिल करने का अधिकार देता है – याचिकाकर्ता

मानवीय आधार पर उसके दावे के इलाज के अनुरोध को विशेष माने, जो उत्तरदाताओं द्वारा नहीं किया गया— स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार — अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार — ऐसे मामले में निर्णय लेते समय, राज्य को एक उदार और मानवीय रवैया लेना चाहिए — उत्तरदाताओ द्वारा याचिकाकर्ता की उसके मृतक पित के इलाज के दावे की प्रतिपूर्ति नहीं करने का निर्णय मनमाना और संविधान प्रावधानों के विरुद्ध था— याचिका की अनुमित देने के साथ उत्तरदाता को दावे की राशि जारी करने का निर्देश दिया गया।

अभिनिर्धारित, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से घटनाओं के पूरे अनुक्रम का खुलासा किया था, जो चिकित्सा व्यय के दावे के प्रतिपूर्ति के लिए किया गया था। उसने यह भी कहा था कि भले ही उसका मामला नियम में ढाका नहीं जा रहा फिर भी उसे विशेष मामले के रूप में माना जा सकता है। उत्तरदाता के ध्यान में नियम 7 के तहत छूट का प्रावधान लाया गया था। फिर भी उत्तरदाताओं ने दावे पर मानवीय आधार पर विचार नहीं किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधान "जीवन के अधिकार" को अर्थ देने के लिए चिकित्सा की प्रतिपूर्ति को विभिन्न वैधानिक नियमों में दर्ज किया गया हैं।

(पैरा 14)

आगे अभिनिर्धारित, याचिकाकर्ता के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता की उसके मृतक पित के इलाज के दावे की प्रतिपूर्ति नहीं करने का निर्णय मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14,16,21 के विरुद्ध था।

(पैरा 20)

दिनेश कुमार, एडवोकेट, याचिकाकर्ता के लिए। बी. एम. सिंह, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

एस. एस. निजजर , जे. (मौखिक)

- (1) दोनों पक्षों के वकीलो की सहमति से, यह रिट याचिका गति चरण में अंतिम निपटान के लिए ली गई है.
- (2) इस याचिका को याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत पंजाब चिकित्सा उपस्थिति नियम, 1940 (बाद में इसे "1940" कहा जाता है नियम")के पैरा 48 (i) को रद्द करने की मांग पर उतप्रेषण की प्रकृति में रिट दायर की है।

याचिकाकर्ता दिनांक 29 मई, 2003, 12 जनवरी, 2004 और 28 अप्रैल, 2004 (अनुलग्नक पी -4, पी -8 और पी -10), क्रमशः याचिककर्ता के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 2,13,514.25 रुपये के दावे को खारिज करने के संचार को रद्द करने का भी प्रयास करता है।

(3) याचिकाकर्ता के पति (बाद में " मृतक "के रूप में जाना जाता है) 30 सितंबर, 2000 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत ह्ए। सेवा में रहते ह्ए, 1999 में मृतक ने ए.एल.एम.2(कैंसर) के रूप में जानी जाने वाली बीमारी विकसित की। वह इलाज के अधीन पी.जी.आई., चंडीगढ़ में दाखिल रहा। मृतक के सेवा समय के दौरान,याचिकाकर्ता ने इलाज के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया, जिससे वह नियोक्ता से करने का हकदार था। हालांकि, 30 सितंबर, 2000 को मृतक की सेवानिवृत्ति के बाद, मृतक ने 14 दिसंबर, 2002 से 28 जनवरी, 2003 तक पी.जी.आई., चंडीगढ़ में उपचार प्राप्त करना जारी रखा। अंतिम बार उसे INSCOL, सेक्टर 34, चंडीगढ़ में चिकित्सा उपचार दिया गया था। वह द्रभाग्य से 11 मार्च, 2003 को मृत्यू को प्राप्त हो गया। स्टेट बैंक ऑफ भारत में, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सक खर्चों की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक सेवानिवृत कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना के तहत, एक सदस्य ख्द या उसके जीवनसाथी के चिकित्सा उपचार के लिए रु2 लाख तक का दावे का हकदार है। चूंकि मृतक योजना का सदस्य था, वह चिकित्सा उपचार पर किए गए खर्चों के कारण 2 लाख रुपये तक का दावा करने का हकदार था। कहा जाता है कि याचिकाकर्ता ने मृतक के उपचार पर लगभग रु. 4,13,514.25 खर्च किया है। उसने भारत के स्टेट बैंक को प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तृत किया और उसे त्रंत 2 लाख रुपये का भ्गतान किया गया था - वाइड चेक नं. 344050, दिनांक 29 ज्लाई, 2003। इसलिए, उसने 5 मई, 2003 को प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को शेष दावा प्रस्त्त किया। उसे 29 मई, 2003 को पत्र द्वारा (अन्लग्नक पी -4) सूचित किया गया कि उसका दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियम के तहत ढका नहीं जा रहा है। पूर्वीक्त संचार (अन्लग्नक पी -4) से द्खी हो कर, याचिकाकर्ता ने 28 जून, 2003 को प्रतिनिधित्व (अन्लग्नक पी -5) कोविश्वविदयालय के वाइस चांसलर-उत्तरदाता नंबर 2 को प्रस्तृत किया। यह प्रतिनिधित्व को भी खारिज कर दिया गया और उसको 12 जनवरी, 2004 पत्र (अन्लग्नक पी -8)द्वारा रजिस्ट्रार-प्रतिवादी न.3 स्चित किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने की 16 मार्च, 2004 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से उत्तरदाताओं पर नोटिस

(अनुलग्नक पी -9) की सेवा करी। इस कानूनी नोटिस में, याचिकाकर्ता ने न केवल प्रासंगिक नियम ही नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा और साथ ही इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर निर्धारित कानून को पेश किया। 28 अप्रैल, 2004 को संचार(अनुलग्नक पी -10) द्वारा कानूनी नोटिस भी अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के दावे को यह कह कर खारिज कर दिया गया है कि यह 1940 के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। याचिकाकर्ता की दावे को इस आधार पर भी खारिज कर दिया गया है कि मृतक पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर वॉल्यूम. III संस्करण 1996 पृष्ठ 70 नियम -2 (xi) के तहत दिए गए "निर्भर" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता हैं, जो इस प्रकार है: -

- "(xi)" परिवार "का अर्थ है विश्वविद्यालय के कर्मचारी की पत्नी या पित, जो कर्मचारी के साथ रहता हो और उस पर निर्भर हो और वैध और सौतेले बच्चे जो कर्मचारी के साथ रह रहे और उस पर पूरी तरह से निर्भर हो। यात्रा भता नियमों के मामलों में, यह इसके अलावा माता-पिता, बहनें और छोटे भाई को शामिल करता है। जो कर्मचारी के साथ रहने और पूरी तरह से उसपर निर्भर "
- (4) यह आदेश (अनुलग्नक पी -10) में भी देखा गया था चूंकि मृतक को 7000 रुपये प्रति माह की आय हो रही थी, तो याचिककर्ता 1940 के नियमों के 48 (i) पैराग्राफ के मद्देनजर किसी भी प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगी। पूर्वोक्त पैराग्राफ में, यह प्रदान किया गया है:
 - ""पंजाब सरकारी कर्मचारी किसी भी सदस्य के संबंध में चिकित्सा शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं हैयदि उनके परिवार का जो अन्य सदस्य किसी राज्य / केंद्रीय का कर्मचारी है या किसी अन्य संस्थान में काम कर रहा है जब तक कि उनका मामला क्लेरिफिकेशन के प्रावधानों के तहत 4 (i) पैरा न. 39 के तहत शामिल नहीं हो जाता यानी यदि जीवनसाथी की आय है 250 रुपये से ज्यादा न हो। ऐसे मामलों में भी, यह पति / पत्नी के लिए जरूरी होगा की वे एक संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करे की आश्रित परिवार के सदस्य के लिए कौन दावा पेश करेगा।"
- (5) उत्तरदाता ने एक लिखित बयान दर्ज किया है जिसमें संचार में दिए गए कारण (अनुलग्नक P-10) दोहराए गए हैं। यह आगे कहा गया है कि अपने प्रतिनिधित्व में, याचिकाकर्ता ने खुद कहा था कि किसी मिसाल / नियम के तहत विश्वविद्यालय से चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकती, लेकिन एक विशेष

मामले में, उसे शेष 2, 13, 514. 25 रुपयों के लिए चिकित्सा खर्च का दावा करने की अनुमित दी जा सकती है। यह आगे कहा गया है कि मृतक कहा जाता है कि 1940 के नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता पर निर्भर नहीं हो सकता है। 1940 के नियमों के अनुसार, 'परिवार' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: —

- "एक सरकारी नौकर की पत्नी या न्यायिक रूप से अलग पत्नी और एक महिला सरकारी नौकर के मामले में पित, जो कि साथ रहता हो और पूरी तरह से उसपर निर्भर है, वैध बच्चे, सौतेले बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे और माता-पिता, विधवा बेटी, अविवाहित छोटी बहनें और नाबालिंग भाई, जो पूरी तरह से उसपर निर्भर है। (पीजी पत्र संख्या. 12344-1MM-67/ 17020, 18/19 सितंबर, 1967 का पैरा 3)."
- (6) पूर्वोक्त नियमों के तहत, 17 मार्च, 1994 को सेवा में शामिल या उसके बाद होने वाले कर्मचारियों के लिए, चिकित्सा उपचार के उद्देश्य के लिए तहत "परिवार" शब्द परिभाषित किया गया है:
 - " प्रमुख सरकार के मामले में एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी (न्यायिक रूप से अलग पत्नी) और पित, जो उसके साथ / उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो , वैध बच्चे (कदम और अपनाया सिहत) बच्चे) दो तक और पिता और माँ के साथ रहते और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो।" (पीजी पत्र सं. 12/9/93-5H5/949S, दिनांक 17 मार्च, 1994)."
- (7) पंजाब सरकार, वाइड पत्र सं. 5919/5HBV-79/19368, दिनांक 20 नवंबर, 1979 को संशोधित, वाइड नं. 4250- SHBV-80, दिनांक 20 मई, 1980 ने स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित कर्मचारियों पर निर्भर माने जा सकते हैं:
 - " पंजाब सरकारी कर्मचारी किसी भी सदस्य के संबंध में चिकित्सा/सुविधा/
 शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं है यदि उनके
 परिवार का जो अन्य सदस्य किसी अन्य संस्थान में काम कर रहा है
 और उसकी आय 250 रुपये से ज्यादा है। और जो आमतौर पर उसके
 साथ रहता/रहती है, शपथ पत्र के रूप में यह आशय दे कि उसका
 पत्नी / पति, नियम और शर्तों के अनुसार जिस संस्था में सेवा
 कर रहा/रही है, वह वहाँ प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा नहीं कर
 रहा है, वह मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का हकदार नहीं है."

- (8) हमने पार्टियों के लिए विद्वान वकील को लंबाई में सुना और कागज-प्स्तक का उपयोग किया।
- (9) याचिकाकर्ता के शिक्षित वकील ने कहा कि उत्तरदाता के पास किठनाई के मामले में,पूर्वोक्त नियमों को आराम करने की शिक्त है। इस सबिमिशन के समर्थन में, विद्वान वकील ने 1940 के नियमों के निम्नलिखित प्रावधानों पर निर्भर है: –

""ਜਿਧਸ 7

- इन नियमों में कुछ भी सरकार को उस व्यक्ति को चिकित्सा उपचार या उपस्थिति से संबंधित कोई रियायत देने से नहीं रोक सकता जो इसका हकदार है।"
- (10) विद्वान वकील ने पंजाब सरकार ने छूट पर कुछ निर्देश जारी किए हैं जो इस प्रकार प्रस्तुत हैं: —

"एफडी की सहमति आवश्यक:

नियम 7 चिकित्सा से संबंधित किसी भी रियायत का अनुदान देता है उपचार या उपस्थिति, जो सरकार के नियमों द्वारा अधिकृत नहीं है। रियायत वस्तु के रूप में केवल तभी दी जा सकती है जब दवाओं की प्रतिपूर्ति सरकारी कर्मचारी अपने अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट के पर्चे पर खरीदी गई हो। ऐसे सभी मामले आवश्यक मंजूरी के लिए वित्त विभाग को सहमति के लिए भेजे गए हो। प्रशासनिक विभागों द्वारा ऐसा संदर्भ सीधा सरकार के वित्त विभाग के लिए बनाया जाना चाहिए। (पीजी पत्र सं. 8137-614B-51/11, दिनांक 27 सितंबर, 1951 और 7510-6HB-53/ 58497, दिनांक 22 जनवरी, 1995).

वास्तविक मामलों को केवल संदर्भित किया जाना है।

केवल ऐसे मामले जो नियमों के छूट में विचार करते हैं, सरकार को भेजे जाने चाहिए (स्वास्थ्य विभाग) और वे मामले जो विशेष विचार योग्य नहीं हैं, उन्हें विभाग स्तर पर निर्णय के लिए भेज देना चाहिए. (पीजी पत्र सं. 4637-SGI-75/11942, दिनांक 10 जून, 1975)."

- (11) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि उत्तरदाता ने याचिकाकर्ता के दावे को मनमाने ढंग से यह कर खारिज कर दिया कि मृतक को पूर्वोक्त नियम के अनुसार पूरी तरह से निर्भर नहीं कहा जा सकता है। इस सबिमशन के समर्थन में, वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के किया मध्य प्रदेश राज्य बनाम ओ.पी. ओझा और अन्य, (1) तथा इस न्यायालय के एकल बेंच निर्णय के नंद रानी बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2) पर भरोसा किया है।
- (12) पार्टियों के लिए वकील की प्रस्तुतियाँ पर विचार करने के बाद, हम इस विचार के हैं कि उत्तरदाता द्वारा उठाए मुद्दे में से कोई भी रेस पूर्ण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ओ.पी. ओझा और अन्य (Supra) के कानून का दृष्टिकोण निर्धारित किया है। पूर्वोक्त निर्णय में,"पूरी तरह से निर्भर" शब्द पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है:
 - "14. अभिव्यक्ति "पुरी तरह से निर्भर" कला का शब्द नहीं है। नियमों के संदर्भ में इसका उचित अर्थ दिया जाता है। हमें "प्री तरह से निर्भर" अभिव्यक्ति को परिभाषित और सभी परिस्थितियों में सभी मामलों में इसे लागू करने का कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अन्य प्रावधान को देखने की जरूरत नहीं है, जहां ऐसी अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया हो। इससे उन परिणामों की ओर बढने की संभावना होगी जिसके बारे में प्रासंगिक नियम ने चिंतन नहीं किया होगा। अभिव्यक्ति "पूरी तरह से निर्भर "को उस संदर्भ में समझना होगा जिसमें यह है, विशेष नियमों की वस्त् को ध्यान में रखते हुए, इसका उपयोग किया जाता है। हम "प्री तरह से निर्भर" के अर्थ को कम नहीं कर सकते जैसे एसआर 8 में दिया गया है जो यह है कि पिता अपने बेटे पर "प्री तरह से निर्भर" नहीं थे।यह कहना कि पिता की अलग क्षमता, सेवानिवृत सरकारी सेवक होने की वजह से है वह जरूरी नहीं है, यदि उसका मामला चिकित्सा नियमों के अंतर्गत आता है, उनके बेटे के परिवार का एक सदस्य और पूरी तरह से उस पर निर्भर है, तो वह सारहीन है। वर्तमान म्द्दे की तरह म्द्दों पर एक आसान दृष्टिकोण को नियमों की व्याख्या और आवेदन करने में अपनाना होगा। इसमें कोई विवाद नहीं है कि बेटे ने अपने पिता को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए सक्षम प्राधिकारी से उचित अन्मति प्राप्त कर बॉम्बे लेकर गया। यह

हमारे सामने प्रस्त्त किया गया था कि पिता सेवानिवृत हो रहे हैं, सरकारी सेवक राज्य के बाहर उपचार के लिए सक्षम अधिकारी से स्वयं के लिए विशेष म्द्दे में मंजूरी ले सकता है। हमारे लिए इस पहलू पर गौर करना जरूरी नहीं है, जैसा कि हम ऊपर प्रस्त्त कर च्के हैं। इसके अलावा अभिव्यक्ति "प्री तरह से निर्भर" चिकित्सा नियमों में दिए गए परिवार की परिभाषा में दिखाई दे रही है, केवल वितीय निर्भरता तक ही सीमित नहीं कर सकते है। आमतौर पर. निर्भरता का अर्थ है वितीय निर्भरता लेकिन परिवार के सदस्य के लिए इसका मतलब अन्य समर्थन, जैसे भौतिक और आदि। इसलिए "प्री तरह से निर्भर" में वितीय और शारीरिक निर्भरता दोनों शामिल होंगे। यदि शारीरिक समर्थन की आवश्यकता है और परिवार का एक सदस्य अन्यथा आर्थिक रूप से समर्थ है, तो उसे पूरी तरह से निर्भर नहीं कहेंगे। यहाँ पिता की आय् 70 वर्ष थी और वह बीमार थे और यह नहीं कहा जा सकता है कि वह पूरी तरह से अपने बेटे पर निर्भर नहीं थे। बेटे को उसके ब्ढ़ापे में उसकी देखभाल करनी है। अन्यथा, 414 रुपये की प्रति महीने पेंशन प्राप्त करके जो किसी भी मानक दवारा एक पैलेट्री राशि है, जो यह संतुष्ट नहीं कहा जाना चाहिए कि संबंधित चिकित्सा नियमों के तहत, पिता अपने बेटे के परिवार का सदस्य था और पूरी तरह से उस पर और दूसरा प्रतिवादी इस प्रकार पूरी तरह से किए गए खर्चों और अन्य यात्रा के खर्च की प्रतिपृर्ति के हकदार हैं। "

- (13) सर्वोच्च न्यायालय की पूर्वोक्त टिप्पणियों ने कोई संदेह नहीं छोडा कि मृतक 1940 के नियमों के तहत और विश्वविद्यालय के नियमों के तहत भी "पूरी तरह से निर्भर" की परिभाषा के भीतर आएगा। उन्हीं प्रावधानों पर इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने नंद रानी (Supra)में विचार किया। हम पूर्वोक्त निर्णय के पैरा 9 में किए गए टिप्पणियों को नोटिस कर सकते हैं:
 - "9. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून भूमि का कानून है और सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। एम.पी. ओझा का मामला (Supra) अधिक या कम वर्तमान मामला के नियम की व्याख्या के तहत समान है। अनुलग्नक आर / 1 / टी के पीछे कोई प्रशंसनीय तर्क नहीं प्रतीत होता है, जो पहले से ही देखा गया है, अधिकतर

अस्पष्ट है। संवैधानिक प्रावधानों और नियमों के तहत सरकार के कर्मचारी को दी गई सुरक्षा, को आदेश के जारी होने से दूर नहीं ले जाया जा सकता जब तक की उपयुक्त अधिकारी या प्रत्यायोजित विधायी शक्तियां के निर्देश में निहित न हो।"

- (14) हम इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए विचारों के साथ सम्मानजनक समझौते में हैं। जैसा कि पहले देखा गया था, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए दावे के घटनाओं के पूरे अनुक्रम का खुलासा किया था। उसने यह भी कहा था कि भले ही नियमों के तहत, उसका दावा स्वीकार्य नहीं है, उसी को विशेष मामले के रूप में माना जाना चाहिए। पूर्वोक्त नियम 7 के प्रावधान के तहत विश्राम को उत्तरदत्ता के नोटिस में लाया गया था। फिर भी उत्तरदाताओं ने किसी मानवीय आधार पर दावे पर विचार नहीं किया। चिकित्सा की प्रतिपूर्ति का प्रावधान जैसा कि अनुच्छेद 21 में निहित है भारत का संविधान "जीवन के अधिकार" है, उसको अर्थ देने के लिए विभिन्न वैधानिक नियमों में दिया गया हैं। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा बनाया चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। हम याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों पर ध्यान दे सकते है। उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (3) में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में देखा गया हैं:
 - "22. अनुच्छेद 21 में अभिव्यक्ति "जीवन" के आश्वासन दिया गया है, संविधान केवल पशु अस्तित्व या जीवन के माध्यम से निरंतर नशे में को नहीं मानता है। यह बहुत व्यापक है जिसका अर्थ है आजीविका का अधिकार, बेहतर रहने की जगह, स्वच्छ स्थिति, काम की जगह और अवकाश। ओलगा टे लिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, (1985) 3 एससीसी 545, इस न्यायालय ने कहा कि कोई व्यक्ति जीवन जीने के साधनों के बिना नहीं रह सकता है। यदि आजीविका के अधिकार को जीवन का संवैधानिक अधिकार का भाग नहीं माना जाएगा, तो यह सबसे आसान तरीका है व्यक्ति को अपने जीवन के अधिकार से वंचित करएगो जो घृणा का बिंद् है।
 - (3) 1995 (3) आरएसजे 188 एस.सी.

इस तरह के अभाव से न केवल जीवन के सार्थकता की प्रभावी सामग्री का खंडन होगा लेकिन यह जीवन को जीने के लिए असंभव बना देगा, जो जीवन को जीवंत बनाता है। मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार इसके भीतर समाहित है कई परतें, मानव सभ्यता के कुछ महीन पहलू जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। जीवन का विस्तारित अर्थ संबंधित व्यक्ति की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत होगा। राज्य में एच.पी. बनाम. उम्मेद राम शर्मा, इस न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार में जीवन की गुणवता शामिल है जैसा कि संविधान के महत्वाकांक्षी द्वारा समृद्धि और परिपूर्णता में समझा जाता है। सड़क तक पहुंचना संविधान के जीवन तक पहुंचन जैसा है।

24. एक कार्यकर्ता को स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के सार्थक अधिकार का एक अभिन्न पहलू है, जो न केवल एक सार्थक अस्तित्व देता है लेकिन इसके बिना स्वास्थ्य और शक्ति को भी लूटता है जिसके बिना कार्यकर्ता द्ख का जीवन जीएगा। स्वास्थ्य की कमी उसकी आजीविका का कारण बनती है। आवश्यक आर्थिक मजबूरी की वजह से स्वास्थ्य खतरों से भरपूर एक उद्योग में काम करना अपने और अपनो के लिए रोटी जीतने के लिए अपच आश्रितों को स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं होना चाहिए। काम करने वालो अनुच्छेद 38 में संलग्न स्विधाएं और अवसर, जैसी स्रक्षा प्रदान करनी चाहिए। कार्यकर्ता के स्वास्थ्य को मजबूत और बेहतर उत्पादन या कुशल सेवा के लिए चिकित्सा परीक्षण के लिए अनंतिम और उच्च उपचार देने चाहिए। निरंतर उपचार, जब सेवा में हो या सेवानिवृत्ति के बाद राज्य का सहवर्ती एक नैतिक, कानूनी और नियोक्ता और संवैधानिक कर्तव्य है। इसलिए, यह कहा जाता है कि स्वास्थ्य का अधिकार और चिकित्सा देखभाल अन्च्छेद 21 और उसके साथ संविधान के अन्च्छेद 39 (ई), 41 और 43 के तहत एक मौलिक अधिकार है और यह काम करने वाले के जीवन को सार्थक और व्यक्ति की गरिमा के साथ उददेश्यपूर्ण बनाएं। सही जीवन शामिल करता है कार्यकर्ता के स्वास्थ्य और शक्ति की स्रक्षा और यह व्यक्ति के जीवन को मानवीय गरिमा से जीने के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता है। राज्य, यह संघ या राज्य सरकार या एक उद्योग, सार्वजनिक या निजी, ऐसे सभी कार्य जो स्वास्थ्य को बढ़ावा दे,काम की अवधि के दौरान काम करने वाले की ताकत और शक्ति को बढाने में

रोजगार और अवकाश की खुशी देने में संलग्न है। स्वास्थ्य और कार्यकर्ता की ताकत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न तथ्य है। डेनियल ने काम करने वाले को अन्चछेद 21 के जीवन अधिकार के उल्लंघन करने वाले बारीक तथ्यों से वंचित कर दिया। मानवीय गरिमा का अधिकार, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक संरक्षण, आराम करने का अधिकार और अवकाश एक काम करने वाले के लिए मौलिक मानवाधिकार हैं,जिसे मानव अधिकारों के चार्टर दवारा, प्रस्तावना और संविधान के अन्चछेद 38 और 39 में आश्वासन दिया गया है। बीमारी को रोकने के लिए स्विधाएं और चिकित्सक देखभाल स्थिर काम करने वाले सुनिश्चित करता है जो आर्थिक विकास के साथ कर्तव्य और काम के प्रति समर्पण करवाएगी जो श्रमिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने के लिए तयार करेगा। कार्यकर्ता का स्वास्थ्य उसे आनंद लेने में सक्षम बनाता है उसके श्रम का फल, उसे शारीरिक रूप से फिट रखना और आर्थिक रूप से एक सफल जीवन जीने के लिए सतर्क, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से,श्रमिकों का स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा स्विधाओं, इसलिए, मौलिक और काम करने वाले को मानवाधिकार है।

- 25. इसलिए, हम मानते हैं कि स्वास्थ्य, चिकित्सा सहायता का अधिकार किसी कार्यकर्ता को स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करना, व्यक्ति की सेवा या सेवानिवृत्ति के बाद अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 39 (ई), 41, 43, 48-ए के तहत मौलिक अधिकार है जो कर्मचारी के जीवन को अहमियत देता और गरिमापूर्ण बना देता है।"
- (15) पंजाब राज्य बनाम राम लुभया बग्गा, (4) में फिर से यह देखा गया: -
 - "6. इस न्यायालय ने समय और फिर से सरकार और अन्य अधिकारियों पर ध्यान केंद्रित और नागरिक के स्वास्थ्य के लिए प्राथमिकता पर जोर दिया है, जो न केवल किसी के जीवन को सार्थक बनाते है, किसी की दक्षता में सुधार करते है, लेकिन बदले में इष्टतम उत्पादन देता है। आगे, राज्य के सबसे महत्वपूर्ण दायित्व जीवन को सुरक्षित करना है। यह केवल अनुच्छेद 21 के तहत एक अधिकार नहीं है लेकिन यह राज्य पर दोनों प्रदान करने का अनुच्छेद 21 और 47 जे तहत एक दायित्व है। यह दायित्व अपने प्राथमिक कर्तव्य के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्धार को शामिल करता हैं।"

^{(4) 1998 (2)} एस.एल.आर.220

(16) मधु शर्मा बनाम प्रधान केंद्रिया विद्यालया, (5) में इसे निम्न को देखा गया है: –

"अगर इस मामले के तथ्यों को चित्रण के रूप में जांचा जाता है, यह स्पष्ट हो गया कि याचिकाकर्ता ने केवल 1,50,000 रुपये की राशि में से 26,000 प्राप्त किए और अगर वह 1,24,000 रुपये के अंतर को पूरा नहीं कर सकती थी तो वह केवल भगवान से की गई प्रार्थनाओं पर बच गई होगी और किसी अन्य साधन पर नहीं। ऐसे निर्देश जो किसी दिए गए मामले में न्याय को रौंदते हैं अवमानना के साथ नजरअंदाज कर दिया गया। हम तदनुसार इस सिद्धांत का पालन करते हैं और पेसमेकर (डुअल चैंबर) की लागत के संबंध में याचिकाकर्ता को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदाता को निर्देश देते हैं।"

(17) केशकुंतला बनाम हरियाणा राज्य, (6) में इस न्यायालय के तहत अभिनिर्धारित किया गया है: –

एक मानव जीवन को बचाने के मामले में समय दिया गया है, यह नहीं उम्मीद कि वह पहले सूची में देखे और फिर अस्पताल के लिए शिकार जो है उसमें निहित है। ऐसी प्रक्रिया को रोगी के परिचर द्वारा आपातकाल में पालन किए जाने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। यदि ऐसे नियम इतनी सख्ती से लागू होते हैं, अंत परिणाम विनाशकारी हो सकता है और इस स्थिति में रोगी मर सकता है। यदि मृत्यु होती है, तो उस घटना में राज्य की जिम्मेदारी को हटाया नहीं जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है, सामान्य परिस्थितियों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए लेकिन प्रक्रिया को ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि पालन करने में निराश हो सकता है। आपातकाल कोई कानून और न ही प्रक्रियाओं को जानता है। आवश्यक होने पर आपातकालीन अधिनियम प्रतिबद्ध होना चाहिए पैसे के मामले में तौला नहीं जाना चाहिए, खासकर जब मानव जीवन दांव पर हो।

"8. नियमों के तहत निर्धारित अधिकारियों को व्यवहार में एक सचेत और सतर्क तरीके से उनका मन ऐसी स्थितियों के साथ भी आवेदन करना होगा। निकट और प्रिय के जीवन को बचाने, एक व्यक्ति को कोई भी कार्य करना पड़ सकता है, जिसमें शामिल है किसी की ज्वैलरी की बिक्री, अत्यधिक ब्याज की दर पर पैसे उधार लेना या खुद को हर या किसी

^{(5) 1998 (4)} आर.एस.जे. 229 पी एंड एच (डीबी)

^{(6) 2004 (1)} एस.एल.आर. 563 पी एंड एच (डीबी)

हालत में डाल देना। कोई अस्पताल, निजी या सरकार राशि के बिना रोगी का मनोरंजन नहीं करेगा, यह उस मोड़ पर है, परिस्थितियों और स्थितियों, रोगी के परिचर ऐसा कमजोर हो जाता है कि निकट और प्रिय के जीवन को बचाने के अलावा कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं लगता है। इस प्रकार, स्थिति की गंभीरता को सरकार द्वारा अधिक सकारात्मक तरीके से सामान्य गणित को न लागु कर द्र से समझना होगा। यह स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जब रोगी के परिचर के पास पैसे या आभूषण निकट और प्रिय का जीवन बचाने के लिए नहीं होते। क्या हम ऐसे में रोगी को स्विधाएं प्रदान करने के लिए बेहतर समाधान के बारे में नहीं सोच सकते? इसकी जांच संबंधित क्वार्टर दवारा की जानी चाहिए जो न केवल सत्तारूढ़ के लिए बल्कि सेवा के लिए आवश्यक व्यय पर अंक्श नहीं लगाए पर यह भी देखे कि यह राज्य के खजाने में संभव बेकार नल न खोल दे। इस का उत्तर वह व्यक्ति दवारा प्रदान किया जाए जो राज्य के मामलों के शीर्ष पर बैठे हैं और ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। हमारे अन्सार, स्थिति को उन व्यक्तियों के द्वारा निपटा जाना चाहिए जैसे कि वह स्वयं इसमें शामिल है। हम कभी नहीं जानते कि जिस स्थिति से निपटा जा रहा है, वह उस पर गिर सकती है।

9. दिए गए मामले में, बच्चे के जीवन को बचाना माँ के लिए सर्वोपिर था यानी याचिकाकर्ता और उसके पास बच्चे के लिए सक्सेना नर्सिंग होम, रेवरी, के अलावा कोई विकल्प नहीं था, सलाह के मुताबिक ऑपरेशन के लिए, उसे उसी के रूप में तौलना था बच्चे के जीवन को बचाने के लिए कौन सा संस्थान बेहतर तरीके से सुसज्जित है और उसके बयान के अनुसार, उसे दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में लेने की सलाह दी गई थी। सौभाग्य से, डॉक्टर के प्रयासों से बच्चा बच गया और, ज़ाहिर है, क्रेडिट संस्थान को चला गया। इसमें कोई शक नहीं, जो खर्च हुआ है, वह सरकारी अस्पताल में या किसी मान्यता प्राप्त में निर्धारित अस्पताल या दूसरों से कहीं अधिक है। सरकार ने कई

अस्पतालों और दरों को पहचाना है, चिकित्सा सहायता का प्रशासन के लिए, जो हर संस्थान में भिन्न होते हैं। मापने वाला कानून यह है कि गंभीर आपातकाल जो अस्पताल दिमाग में आता है और परिचर को बचाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये निर्णय कभी-कभी किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं।

- 10, सभी के दावों पर विचार करते हुए यह प्रभाव है कि सभी के व्यक्तिगत मामलो को शीघ्रता से निपटाना चाहिए क्योंकि चिकित्सा अभियानों को प्रा करने के समय, ब्याज पर ऋण उठाया जाता है, आभ्षण की बिक्री या अचल संपत्तियों सहित चल संपत्तियां के चल को नष्ट करके, यदि कोई हो। इस तरह के कृत्यों में कभी-कभी जीवन की बचत शामिल होती है। इस प्रकार, इस तरह के सवाल का भ्गतान कर्मचारी पर एक स्वस्थ छाप छोड़ता है। आम तौर पर, नियोक्ता को शर्तों और नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों की देखभाल करनी चाहिए। जहां कहीं भी कर्मचारियों को किए जाने वाले प्रतिपूर्ति को निर्धारित करते हैं, आवश्यक देरी से बचा जाना चाहिए। इन सभी मामलों में दिए गए तथ्य इस तरह की देरी से संबंधित हैं और इस तरह याचिकाकर्ताओं ने अनावश्यक उत्पीड़न का सामना किया है। हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के दावों को खारिज करना कानून के तहत ठीक नहीं हैं, क्योंकि याचिका की स्थापना कि अस्पतालों को मान्यता नहीं दी गई है या सरकार द्वारा इसमें अन्मोदित सूची निहित नहीं जो कानून की परीक्षा में खड़ी नहीं होती है।"
- (१ () साधु आर पाल *बनाम* पंजाब राज्य, (7) इस अदालत की एक डिवीजन बेंच के तहत देखा गया है: —
 - "7. प्रतिपूर्ति के मुफ्त चिकित्सा उपचार के प्रावधान को कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी राज्य का एक लाभकारी कार्य है, नियमों / निर्देशों को कर्मचारियों के पक्ष में उदारतापूर्वक समझना होगा, उन्हें राहत देने के लिए लकड़ी के रवैये को अपनाने के बजाय राहत देने वाले को अपनाना होगा।

- 8. हमारे विचार में, ऐसे मामलों को तय करते समय राज्य को उदार और मानवीय रवैया अपनाना चाहिए। न कोई सिद्धांत और न ही कोई निर्णय और न ही कोई बात और दिखाया गया था, न ही हम किसी भी सामग्री के बारे में जानते हैं यह हमें एक सरकारी कर्मचारी को प्रतिपूर्ति न देने के लिए राजी कर सकता है जो उसने उपचार पर अस्पतालों में ली थी। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं याचिकाकर्ता के दावे से इनकार करना अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना है। लगाया गया आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। पूरी स्थिति को सामान्य ज्ञान के तरीके से आंका जाना चाहिए। कोई पूछे कि क्या याचिकाकर्ता का आचरण बुरा था, लेकिन एक पक्षपाती कार्य था अपने पक्ष में, यदि ऐसा नहीं है, तो बस राहत नहीं रोक दी जाएगी।"
- (19) **रेन् साइगल** बनाम **हरियाणा राज्य, (8)में** इस न्यायालय की एक एकल बेंच के तहत अभिनिर्धारित किया है:
 - "5. यह सामान्य ज्ञान है कि एक पुरानी बीमारी और अधिक विशेष रूप से एक घातक न केवल वितीय को नष्ट कर देता है लेकिन यहां तक कि पिरवार के भावनात्मक स्वास्थ्य और रोगी के संपर्क में आने वाले सभी पर बहुत भारी पड़ता है। मेरे दिमाग में, इसलिए, सरकार निर्देश के पैराग्राफ 3, अनुलग्नक पी -9, जहां तक चिकित्सा खर्चों की पूर्ण प्रतिपूर्ति का लाभ एक आउट-डोर रोगी के उपचार के कारण नहीं देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के टचस्टोन पर उचित नहीं है और साथ ही उत्तरदाता की सहायता के लिए राम लुंभय बागगा का मामला (सुपरा) इसलिए नहीं आ सकता है।"
- (20) पूर्वोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, हमें कोई संकोच नहीं है इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता की उसके मृतक पित के इलाज के दावे की प्रतिपूर्ति नहीं करने का निर्णय मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14,16,21 के विरुद्ध था।

(21) उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिका को अनुमित है। आदेश (अनुलग्नक पी -4, पी -8 और पी -10) को समाप्त कर दिया जाता है। उत्तरदाता को याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई पूरी राशि प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो महीने की अविध के भीतर जारी करने के लिए निर्देशित किया जाता है। हालाँकि, हम दावे से इस रिट याचिका के निर्णय तक ब्याज देने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान निर्धारित अविध के भीतर नहीं किया गया तो उत्तरदाता को ब्याज प्रति वर्ष 9% की दर का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(22) इस आदेश की प्रति दस्ती से दी जाए अपेक्षित भुगतान शुल्क पर।

आर.एन.आर.

पहले से ही एस. गील और प्रीतम पाल,जे जे स्खदेव राज, अपीलकर्ता

बनाम

राज्य का राज्य *पंजाब , – उत्तरदाता* आपराधिक अपील सं। 1997 का 315 / डीबी 28 सितंबर, 2005

भारतीय दंड संहिता, 1860 – Ss. 302 और 304 भाग II – परीक्षण न्यायालय अपीलकर्ता को हत्या करने का दोषी पाया गया और उसे धारा 302 आईपीसी के तहत दंडित किया गया, हत्या के समय अपीलकर्ता अक्षम स्थिति में था – अपीलकर्ता और मृतक के बीच अचानक झगड़ा जब दोनों शराब के प्रभाव में थे –मृतक के खिलाफ अपीलकर्ता की दुश्मनी या कोई पिछला बैर नहीं –हत्या के लिए दोषी नहीं होने के लिए दोषी को धारा 302 आईपीसी में सजा नहीं हो सकती – परीक्षण के आदेश के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है धारा 302 आईपीसी में, अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए अदालत धारा 304 भाग II आईपीसी में तब्दील करती है।

अभिनिर्धारित, यह चश्मदीद गवाहों के बयानों में है और चिकित्सा साक्ष्य में भी कि अपीलकर्ता चिकित्सकीय रूप से जांच की गई और शराब की गंध थी।

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैं ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय

का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा